

House. Copies of the Consular Convention will also be available to hon. Members by this evening and we will arrange for their circulation.

17.00 hrs.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): May I rise on a point or order, or, if you so like, on a point of clarification? Can there be any kind of compact or pact between the Planning Commission here which has no executive functions and the Planning Commission of the Soviet Union? I think that, as Minister of Planning, he has no executive functions. Therefore, can there be a pact between the Planning Commission of this country and the Planning Commission of the Soviet Union?

SHRI SWARAN SINGH: Yes, Sir, it can be, and that is why it has been signed.

AN HON. MEMBER: It always happened in the past.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: We demand a discussion on all these pacts.

श्री छटल बिहारी वाजपेयी (गवालियर): मान्यवर, हम लोग इस पर एक चर्चा चाहते हैं। आज सबरे भी यह बात कही गई थी। ऐसा लगता है कि यह बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज है और सदन को जल्दी से जल्दी बहस करने का मौका मिलना चाहिये।

श्री मधु लिमये : मान्यवर, मैं भी मांग करता हूँ कि इस पर बहस हो। आप लोगों की भी इच्छा है और हम लोगों की भी इच्छा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: That has gone on record. I have called you for Half-an-Hour discussion.

17.01 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

APPLICATION FOR COB LICENCES FROM FIRMS AFTER EXPIRY OF DUE DATES

श्री मधु लिमये : (बाका) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त सी० ओ० वी० लाइसेंस के सबाल पर मैं छोटी सी बहस उठा रहा हूँ। हमारे उद्योग विकास मंत्री अकबर मेरे ऊपर नाराज हो जाते हैं, वह कहते हैं कि बहुत तीखे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं जिस में उन के मूढ़ हृदय को चोट लगती है। तो आज मैं तीखे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन उन में यह उम्मीद करूँगा-

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): I do not object to his sharp words but to impertinent words I objected.

श्री मधु लिमये : आप जिस को इम्पर्टिनेंट कहते हैं वह इम्पर्टिनेंट नहीं होता है। मैं तीखे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात उन से जरूर कहनी है कि सरकार की जो घोषित नीतियाँ हैं उन के ऊपर वह तेजी से और मद्धती से अमल करें। इन नीतियों में भी हम आगे जाना चाहते हैं, वह अलग बात है, लेकिन जिन नीतियों को इन्होंने मान लिया है उन पर तेजी से और मद्धती से अमल करना चाहिये।

17.03 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY in the Chair]

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऐक्ट के मातहत जो कंपनियाँ हैं उन पर सरकार ने दायित्व डाला है कि वह अपनी जो पैदावार की शक्ति है उस के बारे में सरकार के पास आवेदन-पत्र भेजें और इसके लिए

[श्री मधु लिमये]

स्वीकृति प्राप्त करें। अगर इन को अपने उत्पादन को बढ़ाना है या नई चीजों की यदि उन को पैदावार करनी है तो सरकार की यह अपेक्षा है कि वह उनके पास आयें और अनुमति मांग कर मारा काम करें। लेकिन जो 1951 का औद्योगिक विकास विधेयक है उसमें जिन के फ़िक्स्ड असेट्स 25 लाख से कम थे उन लोगों के ऊपर इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन सरकार ने सोचा यह जो छूट इन कम्पनियों को और ख़ास कर विदेशी कम्पनियों को दे रखी है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इन्होंने तीन साल पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया और इन कम्पनियों से कहा कि आप को सो० अं० ० बी० लाइसेंस के लिए अपनी अर्जी तीन महीने के अन्दर देनी चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से पहला सवाल यह करना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही नहीं है कि इस नोटिफिकेशन के बावजूद कुछ विदेशी कम्पनियाँ ने या बड़ी विदेशी कम्पनियों की शाखाओं ने आपके पास इस तरह का आवेदन-पत्र नहीं भेजा? इन की पूरी सूची तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तीन कम्पनियों के और शाखाओं के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक कोका कोला ऐक्सपोर्ट कारपोरेशन है, उसने इन के पास समय के अन्दर नियमानुसार नोटिफिकेशन के अनुसार अपना आवेदन-पत्र नहीं भेजा। दूसरी है चीजबरा पीड्स कम्पनी जो कोसमे-टिव्स पैदा करने का काम करते हैं, इस विदेशी कम्पनी ने भी आवेदन-पत्र नहीं भेजा। तीसरी विदेशी कम्पनी की शाखा है कोलोट पामोलिव। इसने भी कोई अर्जी इन के पास नहीं भेजी। और भी दूसरी कम्पनियाँ होंगी जिन की तफ़्सील सरकार के पास होगी वह मंत्री जी सदन के सामने रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या नतीजा हुआ? इन कम्पनियों ने मनमाने ढंग से अपनी पैदावार को बढ़ाया। इतना ही नहीं इन की जो बिक्री बड़ी इस के चलते लाखों लाख रुपया विदेशों में जाने लगा, जब कि हमारे देश पर विदेशी मुद्रा संकट है। कोलोट पामोलिव के बारे में स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है कि 58 लाख ६० का मुनाफ़ा इन्होंने कमाया, विदेशों में भेजा, जब कि इन के द्वारा सिर्फ़ एक लाख ६० की पूंजी लगाई गई थी। कोका कोला ऐक्सपोर्ट एक बड़ा नाटक चला रहा है। आज मंत्री महोदय से मैं अंतिम प्रार्थना करना चाहता हूँ कि दूसरों को जहाँ बाफ़िक इम्पोर्ट लाइसेंस मिलते हैं, किस अधिकारी ने इन के मंत्रालय में उन को साल में दो लाइसेंस दिये? फिर इन को एडहाक लाइसेंस मिले। और यह कोका कोला ऐक्सपोर्ट कारपोरेशन ऐसी चीजों को विदेशों में भेज रहा है जैसे काजू है या दूसरी चीज़ें हैं। उन को विदेशों में भेज कर विदेशी मुद्रा कमाना कोई बड़ा काम नहीं है। कोई भी कर सकता है। लेकिन इन मारी चीजों को विदेशों में भेज कर यह लोग फिर विदेशी-मुद्रा बाहर भेजने का काम करते हैं। इन को इम्पोर्ट लाइसेंस भी दिए जाते हैं।

मंत्री महोदय ने अब तक तीन, चार घोषणायें की हैं। माननीय फ़ैब्रिकीन अपनी अहमद ने यह कहा था सिगरेट इंडस्ट्री के बारे में कि भविष्य में जो नई शक्ति उत्पन्न की जायेगी वह केवल देशी कम्पनियों के लिए की जायेगी। लेकिन इन को मैं एक असें से लिखता रहा हूँ आई० टी० सी० के बारे में कई पत्र मैंने लिखे हैं और उन का ध्यान इस बात की ओर मैंने दिलाया है कि लगातार इंडियन टुर्बोको कम्पनी अपनी पैदावार को को बढ़ाती चली जा रही है कि जिस के कारण विदेशी-मुद्रा बाहर जा रही है। मेरे पास कोमर्स मिनिस्ट्री की एक पत्रिका

है जिम के अनुसार आर्इ० टी० सी० को भी मेरीन प्रोडक्ट, हैंडलूम प्रोडक्ट बाहर भेजने की इजाजत दी गई है। इतना ही नहीं डीप सी फ्रिजिंग के लिए ट्रीनर इन को दे दिये गये हैं। इन को तीन, तीन हॉटल, बनाने की इजाजत भी दी गई है। यह लोग इतने चतुर हैं कि संगीत सभा वा आयोजन करते हैं उस में तरह तरह से लोगों को फंसाते हैं। मैं संगीत का तो शत्रु नहीं हूँ, बल्कि मैं संगीत को पसन्द करता हूँ, लेकिन विदेशी कम्पनियाँ इन् सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अपना जाल बिछाने के लिए कैसे इस्तेमाल करती हैं, इसका एक उदाहरण मात्र मैंने दिया है। मैं पचासों कम्पनियों का नाम ले सकता हूँ। लेकिन अगर उद्योग विकास मंत्रालय की यह नीति है कि सिंग्रेट इण्डस्ट्री एक कनज्यूमर इण्डस्ट्री है, नान-एसेंशियल इंडस्ट्री है, और इस लिए हम इस में विदेशी कम्पनियों के विस्तार की छूट नहीं देंगे, तो फिर इस नीति पर कड़ाई से अमल क्यों नहीं होता है यह मेरा प्रश्न है।

भूतपूर्व मंत्री, श्री मोइनूल हक चौधरी, ने राज्य सभा में 30 मार्च, 1972 को कहा था कि जो कम्पनियाँ सी० आर० बी० लाइसेंस समय पर नहीं लेंगी, उनको हम "फरदर लाइसेंसिंग आफ इम्पोर्टिंग रा मॅटोरियल्स" की इजाजत नहीं देंगे, उस पर हम पुनर्विचार करेंगे। इस बात को 18 मई, 1972 को श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ने दोहराया। इस के साथ ही कोका कोला एक्सपोर्ट कोर्पोरेशन के बारे में स्वयं मंत्री महोदय ने कहा है :

"I would rather discourage the taking of Coca Cola. This is not an essential commodity. The sooner we get rid of it, the better it will be for the country."

लेकिन इस के बावजूद कोका कोला के बाटलिंग प्लांट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उन को अधिक इम्पोर्ट लाइसेंस दिये जा रहे हैं और वे काजू आदि चीजें भी विदेशों में भेजते हैं। इतना ही

नहीं, उन का 80 परसेंट मुनाफ़ा विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर भेजने का अधिकार दिया गया है :

जहाँ तक चीजबरा पाइज़ का सम्बन्ध है सरकार की नीति है कि अब हम लोग काममे-टिकम को लघु उद्योगों के लिए, स्माल-स्केल इण्डस्ट्रीज सैक्टर के लिए, आरक्षित कर रहे हैं। लेकिन, कई छोटी छोटी कम्पनियाँ और फ़ैक्ट्रिज़ अब सरकार के पाम आ कर कह रही हैं कि आप ने हमको अनुमति तो दी ही है जमीन भी दे दी है और कर्जा देने का भी इन्तज़ाम किया है, लेकिन जब तक कालगेट-यामालिव और चीजबरा पाइज़ जैसी कम्पनियाँ अपने उत्पादन का विस्तार करती जायेंगी, तब तक हम लोगों के लिए कोई गुजायश नहीं है, इस लिए आप ने जो अनुमति दी है, उस को वापिस ले लीजिए। आज हमारे छोटे उद्योगों की यह अवस्था है।

क्या यह सही नहीं है कि कोका कोला कम्पनी को शुरू में केवल चार बाटलिंग प्लांट्स की इजाजत दी गई थी? लेकिन इस वक्त देश में कोका कोला की कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं?

मैं मंत्रियों के वक्तव्यों और प्रत्यक्ष वस्तु-स्थिति में मेल बिठाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं दोनों में मेल नहीं पा रहा हूँ। मैं इस वक्त समाजवाद बनाम पूँजीवाद की बात नहीं उठा रहा हूँ, वह एक अलग बहस है। लेकिन जहाँ तक विदेशी कम्पनियों का सवाल है, मेरा खयाल है कि इस विषय में इस सदन में बिल्कुल मुतफिक राय है। अगर सरकार ने प्रोत्साहन देना ही है, तो वह स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दे। जब तक ये विदेशी कम्पनियाँ कनज्यूमर इंडस्ट्री अनावश्यक उद्योगों में रहेंगी, तब तक छोटे उद्योग और हमारी स्वदेशी आग नहीं बढ़ पायेंगी। • •

[श्री मधु निमये]

मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने यह सी० ओ० बी० लाइसेंस नहीं लिया है, उन के खिलाफ वह कड़ी कार्यवाही करें। कोका कोला आदि को ग्रंसी ग्रंसी प्रतिशत विदेशी मुद्रा बाहर भेजने की जो अनुमति दी गई है, उस को वापिस ले लिया जाय।

अगर कानज्यूमर इंडस्ट्री में विदेशी कम्पनियों को विस्तार की इजाजत दी जायेगी, तो स्वदेशी कम्पनियां आगे नहीं बढ़ सकेंगी। मैं मिश्र के अलावा कई और उदाहरण दे सकता हूँ। जहाँ तक बँटरी सैल्ज का सम्बन्ध है, अगर यूनिट कारवाइड का विस्तार होता रहेगा, तो हिन्दुस्तान की कम्पनियां आगे नहीं बढ़ सकती हैं। अब तो सरकार उस को डीप सी-फिशिंग में भी जाने दे रही है।

मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कोई नीति या कोई दिशा है। आज की इस बहस में इस बात का फ़ैसला होना चाहिए कि क्या सरकार यह निर्णय करेगी कि कानज्यूमर इंडस्ट्री में—गैर-आवश्यक उद्योगों में हम विदेशी कम्पनियों का विस्तार नहीं होने देंगे।

सी० ओ० बी० की प्रणाली इस लिए चालू की गई थी कि सरकार सोचती थी कि विदेशी कम्पनियां सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए आयेंगी, तो उन कम्पनियों का भारतीयकरण करने, और उन की ईक्विटी में हिन्दुस्तानियों को हिस्सा देने, और शर्तें लगाने की शक्ति सरकार के हाथ में रहेगी। कई दफ़ा इस का भी दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन मैं उस में इस वक़्त नहीं जाना चाहता हूँ। अगर ये कम्पनियां सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए आयेंगी नहीं, तो उन पर सरकार क्या रोक लगावेगी?

मैं इस सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट एण्ड रेगुलेशन बिल का संशोधन भी आने वाला है। लेकिन जहाँ तक विदेशी कम्पनियों का सवाल है, मेरे कुछ सुझावों को फ़ौरन एक्सचेंज रेगुलेशन (एमेंडमेंट) बिल के समय मान लिया गया था। अभी तक गार्डिलाइन्ज नहीं आई हैं।

मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय विदेशी पूँजी और विदेशी कम्पनियों के बारे में सरकार की ठोस नीति का एजान करें। वह इस बात की स्पष्ट घोषणा करें कि ख़ासकर नान-एसेंशल कानज्यूमर इंडस्ट्री में विदेशी कम्पनियों को बड़ने और घुसने का मौका नहीं दिया जायेगा, और उस नीति पर वह जल्द से जल्द अमल करें। जो लोग सरकारी नीति के खिलाफ़ काम करते हैं, उन के खिलाफ़ वह सख़्त कार्यवाही करें, ताकि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके। मंत्री महोदय से मेरी यह अपेक्षा है कि वह इन नीतियों के सभी पहलुओं को साफ़ करेंगे।

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली)

सभापति महोदय, जॉ प्रग्न श्री मधु निमये ने कि है, उन के अलावा मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस मामले में गम्भीर हैं, कि इस देश को विदेशी मुद्रा इस तरह न लूटी जाय; अगर वह गम्भीर हैं; तो इस की क्या वजह है कि पिछले दिनों इंडिया टैबाको कम्पनी ने रात-दिन, इन्वार और शनिवार को भी, अपनी फ़ैक्टरी को तीन शिफ्ट में चलाने के बाद यह बताने को कोर्टिंग की है कि वह किजना मक़िदम प्राइकगन करता है, और सरकार उस को लाइसेंस देने जा रही है।

इतना ही नहीं, कोला कोला का कान्सेन्ट्रेट बाहर से आता है और वे मनाफ़ा ले जाते हैं। उन को एक

और लाइसेंस दिया गया है ग्रेप फ्रैटा का । किसने दिया है ? ये लोग मन-मनैदंग से, चाहे जितना प्रोडक्शन बढ़ाते जायें और इतनी लूट करते जायें, हम कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे ?

यही नहीं, जो विदेशी कम्पनियां हिन्दुस्तान का धन लूट कर बाहर ले जाते हैं, उन के कर्मचारी को रिजर्व बैंक का डायरेक्टर बना दिया गया है । इसी लिए मैं सरकार की गम्भीरता के बारे में प्रश्न करना चाहता हूँ । मुझे पूरा भरोसा है कि मंत्री महोदय इस बारे में सख्त कार्यवाही करेंगे, और ये कम्पनियां जो विदेशी मुद्रा की चोरी करती हैं और ज़रूरत से ज्यादा कनज्यूमर गुड्स की पैदावार कर के विदेशी मुद्रा हमारे देश से बाहर ले जाती हैं, उस पर रोक लगायेंगे । सरकार की यह पालिसी है । मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि फ़ारेन मानोपली को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I congratulate my hon. friend, Shri Madhu Limaye, on raising this very important discussion and thus giving us also an opportunity to express our views. I fully support the sentiments expressed by him because even after 26 years of freedom these companies with foreign capital or foreign shares are enjoying at the cost of the nation.

He has mentioned the names of Colgate, Palmolive, Coca-cola and a few others including Union Carbide. Indigenous production will never thrive as long as these companies are given import licences to the tune of crores of rupees. I would like to know from the hon. Minister as a person who does believe—I hope so—in swadeshi planning or having swadeshi goods in the country, what steps have been taken to minimise this. I know it will be difficult to eliminate them but what positive steps have been taken to at least minimise them, because they are consumer goods. If we do not

use colgate we are not going to die. But there is a craze for it because of propaganda. Indian things are equally good.

SHRI C. SUBRAMANIAM: They are all Indian-made, selling in their brand names.

SHRI S. M. BANERJEE: That is a different matter. Then why do you change the names of roads from English name to Indian name? I ask the Company Affairs Ministry: to what extent repatriation is there, to what extent actual mismanagement is there and how they are exploiting our country. These may be known to Mr. Subramaniam; I do not know; I am a layman. Colgate, Palmolive and others are exploiting the country and are ruining the other industries which are newcomers in the field.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): Mr. Chairman, first I should like to answer the relevant point with regard to this discussion; I shall not evade answering other points also even though some of them are outside the scope of the discussion raised here. This is with regard to the starred question No. 47 answered on 14 November 1973—issue of COB licences even though application was made after the notified date: how many applications were there and how many COB licences were issued—that was the question. It is with reference to that, if any further clarification was necessary, it will be relevant as far as this discussion is concerned. To the extent information was available with me, I have given: how many companies applied after the notified date and how many COB licences were issued. The only submission I want to make is that this was not a statutory limit. Our idea in issuing COB licence was to give a licence if the capacity was already created during the times when no licence was necessary. Because we brought in legislation later on, that the particular type of industries would require licence, the Government took the decision that in cases where steps had already been taken for the

[Shri C. Subramaniam]

purpose of establishing capacity, with reference to those industries, those concerns were called upon to make an application and obtain what we call carry-on-business licence. Therefore, we notified all of them to apply by a particular date. We found that time was not adequate and we extended it and in certain cases even within the extended time applications did not come; a few days later, a few weeks later applications came. In regard to each application we want into the question of genuineness of the creation of the capacity. If we were convinced that the capacity was created prior to the notification that a licence should be obtained, then we issued the COB licence. This has no reference to whether it is a foreign company or indigenous company. We have applied the same rules. We found that in one case a foreign company just took advantage of this and dismissed it saying it was out of time. As far as I can see through the list here, I do not find any foreign company which applied after the notified time and obtained it. All of them are Indian companies but I shall further verify whether there are any companies, foreign companies which applied after the notified date and got the licence.

SHRI MADHU LIMAYE: Coca-Cola; Cheeseborough, Colgate....

SHRI C. SUBRAMANIAM: I do not find them in the list; I shall verify and find out whether Coca-Cola, Colgate, etc..... (Interruptions) Indian Tobacco does not come in this; it is a different case, for which a Bill has been brought and it is going to be discussed. I hope, on Monday. That is not a COB licence case. I will explain it when the Bill comes. I do not find as far as this is concerned any foreign company having applied after the date and having obtained it. I find only one case here and we have rejected it. That is Polsons.

Then the general policy question was raised whether we are going to allow a fresh expansion or establishment of fresh units for the purpose of pro-

ducing consumer goods by foreign companies. I thought our licencing policy has been made quite clear and definite by the issue of a notification in February, 1973 wherein we have indicated the areas in which foreign companies would be allowed to participate either by way of expansion or establishing new units. Apart from that, we are not going to allow new expansion programmes or establishment of new units by foreign companies. All these—Colgate, Palmolive, Coca-Cola—came into existence before February, 1973. After that I do not think we have given any licence for consumer goods.

SHRI SHASHI BHUSHAN: Recently you have given for Grape-Fanta.

SHRI C. SUBRAMANIAM: I will verify that.

I do agree that Coca-Cola has been expanding its empire not only here but even into the socialist countries. But that does not mean we should allow it. I have said categorically that this is not an essential article which has got to be encouraged. Therefore, we are trying to see that no further expansion takes place and we are trying to see if further curbs can be put even on the existing activities. The import replenishment was made applicable to them on the basis of any exports that were made, it is true. They were exporting cashew-nuts and various other articles, but they claimed they were exporting them to new areas. We went into it and said, there is no question of their getting replenishment for Coca-Cola by exporting articles which they are not manufacturing. It has now been restricted and hereafter account will be taken only of export of articles which they manufacture like Coca-Cola concentrate etc. Simply because they export any other thing they will not be entitled to import replenishment for Coca-Cola. We have passed orders to that effect and they have been informed about it. I am as anxious as Mr. Madhu Limaye or Mr. Shashi Bhushan to see that these empires do not further expand.

SHRI MADHU LIMAYE: What about the double licence issued to the Coca-Cola Export Corporation? Who is responsible for it?

SHRI C. SUBRAMANIAM: This is not a case covered under the discussion now. If hon. members are interested, certainly Coca-Cola operations etc. is an important subject which can be discussed by itself.

SHRI MADHU LIMAYE: You can give this information when that Bill comes up for discussion here.

SHRI C. SUBRAMANIAM: I shall try.

Therefore, as far as the foreign companies are concerned, their areas of operation are limited. Even with reference to that, if there is an indigenous application, then that gets preference over that of the foreigners. Within the indigenous application, the medium entrepreneur and a new entrepreneur application gets preference over the application of a larger firm. This is the policy we have laid down, and we have made it clear that this is how we will try to take care of the future.

Then the question is what we will do with regard to the existing companies, particularly foreign companies. They fall into three groups; firstly, trading companies which merely carry out trading operations; secondly, companies engaged in producing consumer articles, particularly, non-essential luxury goods; and, thirdly, companies which are engaged in what we call essential areas where we need their production because of the new technology required for that purpose.

With regard to these three categories, we have got the Foreign Exchange Regulations Act and the guidelines to take care of them. As far as the third category is concerned, which deals with the production of essential commodities and drugs

which we need here, a certain criteria will be applied. As far as trading companies are concerned, my own view is that there is no justification to allow them to continue here indefinitely. We have to take them over. So far as the second category is concerned, companies producing consumer goods for the elite, we have laid down the guidelines. I am sure when these guidelines are made available to the hon. Members, they will be able to see that we have tried our best to see that while the essential activities would be allowed, in course of time we will try to phase out the others.

SHRI MADHU LIMAYE: Have you taken into consideration my suggestions with regard to the guidelines?

SHRI C. SUBRAMANIAM: I hope so. It is the Finance Ministry which formulates the guidelines. We also help them to the extent possible. I am sure the very valuable suggestions made by the hon. Member should have been taken into consideration. That does not mean that every suggestion would be accepted.

Now, that I have explained our policy, the hon. Member need not go away with the impression that we are in favour of all foreign companies expanding their empire here and that we are not interested in safeguarding the interests of the indigenous companies and so the Government are taking a distorted view of the situation. I can give this assurance to this House that we are fully aware of the position and that we will give licences to foreign companies only where it becomes inevitable, and that too in very selected areas. Now that I have replied to the general points raised, I hope the hon. Members would not expect me to go into further details in a discussion of this sort.

17.35 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 3, 1973/Agrahayana 12, 1895 (Saka).